/86191/2022

ई पत्रावली संख्या-31018

प्रेषक,

विनीत कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

इं0 जीवन सिंह ह्यांकी
वरिष्ट स्टाफ आफिसर

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 26 **दिसम्बर,2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 319/2022 एवं 323/2022 के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र- चम्पावत के अन्तर्गत विभिन्न 02 मोटर मार्गों के निर्माण कार्यों (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार विषयगत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 23.00 किमी. + 2 सेतु एवं लागत ₹ 102.38 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त, **भूमि अध्याप्ति की धनराशि को हटाते हुए, संस्तुत औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹63.10 लाख (रूपये तिरेसठ लाख दस हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹0.10 लाख (रूपये दस हजार मात्र) अर्थात् 02 कार्यों हेतु **₹0.20 लाख (रूपये बीस हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

i. उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या- 1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ii. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या- 383/III(1)/19-190(PWD)01 टी.सी. II दिनांक 05.02.2020 एवं शासनादेश संख्या- 1403/III(2)/21-8(सामान्य)2020 दिनांक 25.05.2021 द्वारा जारी RFQ एवं TOR का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

iii. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

iv. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

v. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

vi. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

vii. स्वीकृत किया जाने वाले कार्य उत्तराखण्ड प्रॅक्यौरमेन्ट रूल्स- 2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

viii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ix. उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन.पी.वी., भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

x. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

xi. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2023 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

xii. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

xiii. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं. - 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या- 22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेण्ट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या- 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

2- इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- 337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य- 53 वृहद निर्माण **(5054-04-800-03-02** से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 की कम्प्यूटरजनित संख्या-I/85757/2022 दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीत कुमार)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, चम्पावत।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग- 2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत।
11. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

86191/2022

<u>ई-फाइल संख्या– **31018** का संलग्नक</u>

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-**319/2022** के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र- चम्पावत के अन्तर्गत चम्पावत-मंच-तामली मोटर मार्ग के किमी. 33 से राजकीय इण्टर कॉलेज मंच तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य **(प्रथम चरण)।**	1.00	1.50	0.10
2	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-**323/2022** के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र- चम्पावत के अन्तर्गत चम्पावत-मंच-तामली मोटर मार्ग के किमी. 34 स्थित गोरखनाथ मन्दिर गेट से रणकुंची मन्दिर तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य **(प्रथम चरण) (RFQएवं TORके अनुसार)।**	22.00+2 Brdg	61.60	0.10
	कुल योग :–	**23.00+2 Bridges**	**63.10**	**0.20**

(कुल ₹ बीस हजार मात्र)

Signed by Shyam Singh
Date: 24-12-2022 13:22:13

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

Signed by Vineet Kumar

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/86191/2022 आवंटन आई डी-S22120220028
अनुदान संख्या -022 आवंटन पत्र दिनांक-26-DEC-2022

लेखा शीर्षक		
	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	1950000	20000	0	1970000
योग	1950000	20000	0	1970000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.20,000 (Rupees Twenty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक–1072 /20 याता0'क' / 2022 दिनांक–28 .12.2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, चम्पावत।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक / बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।